



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

स. 53.8/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2020

दिनांक 10/6/20

प्रति,

कुलसचिव,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय,
भोपाल

विषय-शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समीक्षित शुल्क विषयक।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10) (ख) एवं (ड) में विनिर्दिष्ट प्रावधानान्तर्गत सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर की गयी। शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03 एवं 04 जून 2020 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा सत्र 2020-21 के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना की समीक्षा के संबंध में की गयी अनुशंसाओं का आयोग की बैठक दिनांक 04 जून 2020 में अनुमोदन किया गया।

आयोग द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
Medical					
1	MBBS	16,30,000	10,81,723	1,23,277	12,05,000
2	BDS	2,31,800	2,08,515	23,285	2,31,800
3	MDS	5,45,700	4,91,304	54,396	5,45,700
Enggining					
4	Diploma Engg.	40,000	35,991.09	4,008.91	40,000
5	B.E.	50,000	44,926.59	4,073.41	50,000
6	MTech	65,000	58,507.18	6,492.82	65,000
Pharmacy					
7	D.Pharma	1,02,000	91,819.69	10,180.31	1,02,000
8	B Pharma	60,000	53,969.53	6,030.47	60,000
9	M Pharma	66,000	59,383.01	6,616.99	66,000
Nursing					
10	GNM	56,500	50,912.93	5,587.07	56,500
11	BSc Nursing	77,700	69,970.80	7,729.20	77,700
12	Msc Nursing	1,52,400	1,37,201.91	15,198.09	1,52,400
13	Post Basic B.Sc. Nursing	54,000	48,557.46	5,442.54	54,000
Management					
14	MBA (FT)	50,000	49,548.69	451.31	50,000
15	MBA (PT)	25,000	22,574.03	2,425.97	25,000

निरंतर-2

D:\(ees)\let-21

//2//

सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल
शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रु. लाख में)

Computer Science					
16	MCA	23,000	22,725.84	274.16	23,000
17	DCA	10,000	9,874.54	125.46	10,000
18	BCA	11,000	9,811.94	1,188.06	11,000
19	PGDCA	15,000	11945	3055	15000
Agriculture					
20	Diploma	17000	16752	248	17000
21	Bsc (agriculture)	73000	65627	7373	73000
Science					
22	Bsc	15,000	13,509	1,491	15,000
23	Msc	20,000	17,980	2,020	20,000
Paramedical					
24	Bachelor of Physiotherapy	34,000	30,395.69	3,604.31	34,000
25	Bachelor of Medical lab technician	38,500	34,601.07	3,898.93	38,500
26	Diploma in Medical lab technician	30,000	26,977.38	3,022.62	30,000
27	Diploma in X-Ray	28,000	25,196.46	2,803.54	28,000
28	Diploma in Optometry	29,000	26,149	2,851	29,000
29	Diploma in Human Nutrition	28,000	25,256	2,744	28,000
Arts					
30	BA	10,000	9,035	965	10,000
31	MA	15,000	13,532	1,468	15,000
Commerce					
32	B.Com	8,000	7,227	773	8,000
33	M.Com	15,000	13,531	1,469	15,000
Library Science					
34	B.Lib	10,000	9,898	102	10,000
35	M.Lib	12,000	11,879	121	12,000
LAW					
36	LLB	34,500	34,138	362	34,500
37	BALLB	34,500	31,066	3,434	34,500
38	Ph.D.	1,70,000	1,48,316	21,684	1,70,000
Homeopathy					
39	BHMS	1,29,400	1,16,413.40	12,986.60	1,29,400
40	MD Homeo	3,00,000	269917.65	30082.35	3,00,000

नोट - उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर की गई है।

निरंतर-3

//3//

सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल
शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क समीक्षा का आदेश

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
4. नियामक संस्थाओं के मापदंडों/शर्तों का पालन नहीं किये जाने की दशा में अथवा किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त प्रावधिक फीस समीक्षा संबंधी अनुमति निरस्त की जावेगी तथा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वमेव उत्तरदायी होगा।

(चेयरमेन द्वारा अनुमोदित)


सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,
भोपाल

पृ. क्रमांक...5.3.9.../फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2020

भोपाल, दिनांक 10/6/2020

प्रतिलिपि-

1. कुलपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. आई.टी.प्रकोष्ठ की ओर इस निर्देश के साथ कि शुल्क समीक्षा आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।


सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,
भोपाल